मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष, संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में सम्पन्न 11वीं बैठक के कार्यवृत्त

दिनांक 26 अगस्त, 2016 को श्री शत्रुघ्न सिंह, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष, संचालन समिति–उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड कैम्पा की 11वीं संचालन समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें निम्न सदस्यगण/प्रतिनिधि उपस्थित रहे:–

1. श्री एस0 रामास्वामी, अपर मुख्य सचिव, वन एवं अवस्थापना विकास आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन तथा उपाध्यक्ष – संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
2. श्री अमित नेगी, सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री राजेन्द्र कुमार महाजन, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड।
4. श्री डी0बी0एस0 खाती, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।
5. श्री विनोद कुमार, अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण/नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून उत्तराखण्ड।
6. श्री गंभीर सिंह, अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड।
7. श्री अजय कुमार, अपर प्रमुख वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, एफ0 आर0 आई, देहरादून।
8. श्री समीर सिन्हा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अपर प्रमुख वन संरक्षक, सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा।

कार्यसूची संचालन समिति 11.1: Compensatory Afforestation Act 2016 जो कि विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है, के प्राविधानों पर चर्चा:

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा Compensatory Afforestation Act 2016 को सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं प्राविधानों पर चर्चा की गई।

चर्चा के दौरान इस अधिनियम के अंतर्गत नये सिरे से राज्य कैम्पा प्राधिकरण के गठन की कार्यवाही की आवश्यकता प्रकाश में आई। मुख्य सचिव महोदय ने निर्देश दिया कि इस विषय में

भारत सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की प्रत्याशा में राज्य सरकार के स्तर पर अपेक्षित तैयारी कर ली जाए।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि एक्ट की धारा 15–1 (1) के अंतर्गत यह प्राविधानित है कि राष्ट्रीय कैम्पा प्राधीकरण द्वारा राज्यों से प्राप्त वार्षिक कार्ययोजना को उपयुक्त संशोधनों के साथ प्राप्ति के तीन माह के अंदर स्वीकृत किया जाएगा। एक्ट की धारा 30 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के द्वारा कैम्पा के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार के साथ विचार विमर्श के उपरांत नियम बनाने का प्राविधान है। इस संबंध में मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष संचालन समिति द्वारा निर्देश दिए गए कि भविष्य में जब एड–हॉक कैम्पा भारत सरकार द्वारा कैम्पा एक्ट के अंतर्गत नियमों के ड्राफ्ट का परिचालन किया जाए, उस समय राज्य सरकार के साथ विचार विमर्श कर राज्य सरकार का अभिमत एड–हॉक कैम्पा, भारत सरकार के समक्ष अवश्य रखा जाए।

एक्ट के अंतर्गत प्राविधान संचालन समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना की स्वीकृति National Executive Committee द्वारा अधिकतम तीन माह के भीतर प्रदान किए जाने के प्राविधान पर चर्चा के दौरान अवगत कराया गया कि दिनांक 22 जून 2016 को मंत्री मंडल सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा यह कथन रखा गया था कि वार्षिक कार्ययोजना की स्वीकृति का अधिकार तथा इस योजना के अंतर्गत विभिन्न धनराशि के उपयोग के अंतर्गत स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए लचीलापन का अधिकार राज्य स्तर पर निहित किया जाना नितांत आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि कैबिनेट सेक्रेटरी, भारत सरकार को इस विषय में पुनः पत्र भेजकर यह अनुरोध किया जाए कि इस योजना के अंतर्गत नियमावली का निर्धारण करते समय राज्य की भौगोलिक एवं अन्य परिस्थिति/आवश्यकताओं को देखते हुए तैयार की गई एवं मुख्य सचिव द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना की स्वीकृति तथा इसमें स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए समुचित परिवर्तन का अधिकार राज्य सरकार के स्तर पर दिए जाने की आवश्यकता है।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि कैम्पा निधि राज्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसका उपयोग उत्तराखण्ड राज्य हित में किया जाना है। भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मानक मदों के अनुसार ही इस धनराशि का समुचित उपयोग किया जाए।

कार्यसूची संचालन समिति 11.2: संचालन समिति की दसवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं अनुपालन की स्थितिः

सदस्यगणों द्वारा दिनांक 26 अक्तुबर, 2015 को सम्पन्न संचालन समिति की 10वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई एवं सदस्यगण कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या से अवगत हुए।

कार्यसूची संचालन समिति 11.3: उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2015–16 की संशोधित वार्षिक कार्ययोजना का कार्योत्तर अनुमोदन एवं प्रगति का विवरण।

उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2015–16 हेतु स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना ₹ 25052.24 लाख के अतिरिक्त कार्यकारी समिति द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2016 को सम्पन्न 16वीं बैठक में कार्य की महत्ता एवं आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न वन प्रभागों के ₹ 1598.62 लाख के अतिरिक्त प्रस्तावों को सम्मिलित करते हुए, समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

भारत सरकार के प्रतिनिधि ने इस विषय पर समिति का ध्यान भारत सरकार के पत्रांक 13–20/2015–कैम्पा दिनांक 29 जनवरी, 2015 तथा पत्रांक 15–2 (0)/16–कैम्पा दिनांक 14 जुलाई 2016 की ओर आकृष्ट करते हुए इस बात पर बल दिया कि प्रत्येक दशा में एन0पी0वी0 मद के अंतर्गत न्यूनतम 70% का उपयोग 'कोर क्रियाकलापों' हेतु किया जाए तथा शेष धनराशि हेतु भी निर्धारित मानकों का पालन प्रत्येक दशा में किया जाए। उनके द्वारा अतिरिक्त प्रस्तावों के विषय में यह अपेक्षा की गई कि उनको सम्मिलित करते हुए इन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इस विषय पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा विवरण प्रस्तुति किया गया। विस्तृत चर्चा उपरांत अतिरिक्त प्रस्तावों को सम्मिलित किए जाने पर सहमति व्यक्त करते हुए **संचालन समिति द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2015–16 हेतु कुल ₹ 26650.86 लाख की संशोधित वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन प्रदान किया गया।**

अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि भविष्य में बिना सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किए हुए स्वीकृति की प्रत्याशा में कैम्पा निधि के अंतर्गत कोई भी कार्य न कराए जाएं। अगले वित्तीय वर्ष से कार्ययोजना की अंतिम स्वीकृति एक्ट के प्राविधानों के भारत सरकार के स्तर से दी जानी अपेक्षित है अतः इस पर और भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

कार्यसूची संचालन समिति 11.4: एड–हॉक कैम्पा, भारत सरकार से उत्तराखण्ड कैम्पा को वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राप्त होने वाली संभावित धनराशि की स्थिति।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वर्ष 2016–17 में एड–हॉक कैम्पा भारत सरकार से प्राप्त होने वाली संभावित धनराशि का विवरण प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार ने अपने पत्रांक 15–2(34)/2016 कैम्पा दिनांक 22 अगस्त, 2016 द्वारा अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड के वर्ष 2016–17 में एड–हॉक कैम्पा से प्राप्त होने वाली संभावित धनराशि ₹ 173.00 करोड़ है। दिनांक 31.03.2016 को उत्तराखण्ड कैम्पा के पास उपलब्ध निधि एवं रिवर ट्रेनिंग व मक डिस्पोजल मद में प्राप्त होने वाली संभावित धनराशि के दृष्टिगत वर्ष 2016–17 की वार्षिक कार्ययोजना के आकार हेतु उपलब्ध धनराशि ₹ 346.80 करोड़ है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

विवरण	धनराशि (करोड़ में)	वर्ष 2016–17 में एडहॉक कैम्पा द्वारा अवमुक्त की जाने वाली संभावित धनराशि (करोड़ में)
एडहॉक कैम्पा भारत सरकार के पास 31.03.2016 तक जमा राशि का 10 %	173.00	173.00
एडहॉक कैम्पा द्वारा वर्ष 2015–16 की वार्षिक कार्ययोजना रू0 185.28 करोड़ के सापेक्ष प्राप्त रू0 164.00 करोड़ के अतिरिक्त अवमुक्त होने से रह गई शेष धनराशि	21.28 = (185.28-164.00)	21.28
उत्तराखण्ड कैम्पा के पास दिनांक 31.03.2016 को उपलब्ध कैम्पा निधि (वर्ष 2015–16 की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष अवमुक्त होने से शेष रह गई धनराशि)	78.00	78.04*
योग		272.32
एडहॉक कैम्पा द्वारा मक डिस्पोजल एवं रिवर ट्रेनिंग मद में अवमुक्त की जाने वाली अतिरिक्त संभावित धनराशि (एडहॉक कैम्पा से प्राप्त होने की दशा में)	74.48 = (59.77+14.71)	74.48
कुल योग		346.80

*दिनांक 31 मार्च 2016 को उपलब्ध कैम्पा निधि के सापेक्ष 2015–16 की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के विभिन्न वचनबद्ध मदों हेतु ₹ 38.69 करोड़ की धनराशि दी जानी है तथा वर्ष 2016–17 की कार्ययोजना के सापेक्ष भी कार्यों की अनिवार्यता एवं समयबद्धता के दृष्टिगत रू0 9.99 करोड़ की धनराशि विभिन्न कियान्वयन अभिकरणों को अवमुक्त की जा चुकी है।

संचालन समिति द्वारा वार्षिक कार्ययोजना के आकार पर सहमति व्यक्त की गई।

कार्यसूची संचालन समिति 11.5: उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2016–17 की कार्ययोजना के अनुमोदन के संबंध में।

उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यकारी समिति की 17वीं बैठक दिनांक 08.07.2016 में कैम्पा के अंतर्गत वर्ष 2016–17 की कार्ययोजना ₹ 41988.20 लाख एवं वर्ष 2015–16 में स्वीकृत मदों के सापेक्ष वर्ष 2016–17 में अवमुक्त धनराशि ₹ 2117.85 को सम्मिलित करते हुए कुल ₹ 44105.01 लाख संचालन समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने हुए स्वीकृति प्रदान की गई थी।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा कार्यकारी समिति द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना ₹ 44105.01 लाख के स्थान पर कार्यसूची सं0– 11.4 के विवरण के अनुसार वर्ष 2016–17 में कैम्पा की वार्षिक कार्ययोजना हेतु सम्भावित धनराशि ₹ 346.80 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति चाही गयी। अध्यक्ष– संचालन समिति द्वारा कार्यसूची सं0–11.4 के अनुसार सम्भावित कैम्पा निधि ₹ 346.80 करोड की ही वार्षिक कार्ययोजना संचालन समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

अध्यक्ष– संचालन समिति के निर्देशों के क्रम में एवं एडहॉक कैम्पा द्वारा प्राप्त होने वाली संभावित धनराशि के दृष्टिगत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वर्ष 2016–17 की वार्षिक कार्ययोजना ₹ 34680.00 लाख संचालन समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई जिसका घटकवार विवरण निम्नानुसार है।

धनराशि लाख ₹ में

घटक	एन0पी0वी0	एन0पी0वी0 (वन पंचायत)	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	संरक्षित क्षेत्र	कैट प्लान	अन्य (रिवर ट्रेनिंग, मक डिसपोजल, अन्य स्थल विशिष्ट वृक्षारोपण)	कुल योग
वर्ष 2016–17 की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना	24259.00	1035.00	2445.00	0.00	2150.00	4791.00	34680.00

वर्ष 2016–17 की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना में विभिन्न मदों /गतिविधियों में भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्नानुसार हैं।

Table A – APO for Committed Works

S. No.	HEAD / Activities	Target		Remark
		Physical	Financial (₹ in Lakh)	
	COMMITTED ACTIVITIES			
1	**COMPENSATORY AFFORESTATION**			
1.1	Plantation	3000 ha	780.00	
1.2	Advance Soil Work	3000 ha	1665.00	
1.3	Maintenance (Based on Success)	4000 ha	279.28	
1.4	Nursery Maintenance (No. of Plants)	4199624	120.72	
	Sub-Total		**2845.00**	
2	**OTHER SITE SPECIFIC ACTIVITIES**			
2.1	Plantations (Road side, Gap filling, Dwarf Species)	133 ha	1365.00	
	Sub-Total		**1365.00**	
3	**CAT PLANS**			
3.1	Plantations	961.17 ha	619.00	
3.2	Rest of Activities under CAT Plans (9 CAT Plans)	1. Microplan, DPR, Documentation – 20 Nos. 2. Treatment of Drainage Line (Brushwood checkdams (4025 Nos. / cratewire structures (705 cubic meter) 3. Water Conservation Works – Dhara, Naula, chal-khal (1481 Nos.) 4. Livelihood Projects (Agri-horti, animal husbandry, micro enterprise etc.)	1531.00	
	Sub-Total		**2150.00**	
	Total Table A		**6360.00**	

Table B – APO for Core and General Works under NPV

S. No.	HEAD / Activities	Target		Remark
		Physical	Financial (₹ in Lakh)	
	NET PRESENT VALUE (NPV)			
4	**VAN PANCHAYAT**			
4.1	Plantations (Pasture Development)	1667.22 ha	835.00	
4.2	Other activities in Van Panchayats			
4.2.1	Preparation of Microplans	800 No.	64.00	
4.2.2	Assisted Natural Regeneration (ANR)	647 ha	39.73	
4.2.3	Fire Protection of Works	256 VPs	17.39	
4.2.4	Conssultancies, Strengthening and Book Keeping	250 VPs	32.00	
4.2.5	Workshops, Training and Other activities	1000 Nos.	46.88	
	Sub-Total		**1035.00**	
5	**Plantations and ASW under NPV**			
5.1	City Plantation at Dehradun	2500 plants with tree guard	25.00	
5.2	City Plantation at Mussoorie	2500 plants with tree guard	25.00	
5.3	Raising of Oak, Deodar and other high altitude species including maintenance	185 ha	400.00	
5.4	Field Level Celebrations of Van Mahotsav / Harela including plantation cost.	100000 plants	50.00	
5.5	Raising of wild Fruit Plants and Mehal top working	100000 plants	50.00	For increasing food availability for wild animals in forests
5.6	Raising of middle altitude species and wild fruit plants	400000 plants	200.00	
	Sub-Total		**750.00**	

6	Grassland Development and Management of Bugyals in Forest Areas	2500 ha	500.00	
	Sub-Total	-	**500.00**	
7	**SOIL AND WATER CONSERVATION**			
7.1	Creation of Water Bodies	500 Nos.	2000.00	
7.2	Rejuvenation of traditional and Other Water Sources	1000 Nos.	500.00	
7.3	Soil and Water Conservation Measures like checkdams, brushwood checkdams, pirul and vegetative checkdams	4000 Nos.	1000.00	
7.4	Maintenance of Existing Water bodies	375 Nos.	150.00	
7.5	Staggard Contour trenches for water retention in chir pine areas	10000 ha	1000.00	
	Sub-Total		**4650.00**	
8	**FOREST FIRE MANAGEMENT AND PROTECTION**			
8.1	Fire Protection and management (Maintenance of Fire Lines, Watch Towers, Crew Station, Wireless sets, Fire Equipments, Fire Watchers, Hiring of vehicles, Pre-fire Management and other activities)	1. Maintenance of Firelines – 3000 Km 2. Control / Rotational Burning – 3000 ha 3. Fire Watchers – 3200 Nos. 4. Hiring of Vehicles – 200 5. Constn and Maint of Watch Towers – 10 Nos. 6. Establishment and Operation Crew Stations / Master Ctrl Rooms – 1038 7. Maintenance of Wireless / Fire Equipments – 1000 Nos. 8. Pre-fire Management and other Misc. works including public awareness.	2200.00	
	Sub-Total		**2200.00**	

9	**FOREST PROTECTION AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT**			
9.1	Maintenance of Forest Roads, Bridle path, culverts etc.	2688 KM	1500.00	
9.2	Construction of new Forest Guard Chaukies	25 Nos.	500.00	
9.3	Renovation of Existing Buildings	84 Nos.	200.00	
9.4	Survey & Demarcation	39978 ha	28.00	
9.5	Boundary Pillers		50.00	
	Sub-Total		**2278.00**	
10	**FOREST RESEARCH**			
10.1	Research Related Activities (No. of Projects)	27 Nos.	200.00	Research Projects executed by Silva Sal Region and Silva Hill Region
	Sub-Total		**200.00**	
11	**FOREST MANAGEMENT**			
11.1	Preparation of Working Plans (No. of Div)	8 Nos.	200.00	
11.2	Silvicultural Operation in Forest Areas	1500 ha	200.00	
	Sub-Total		**400.00**	
12	**TRAINING OF FOREST STAFF**			
12.1	Strengthening of Training Instutions to prepare Frontline Staff and other stakeholders to strengthen forestry and wildlife conservation.	5 Nos.	200.00	Strengthening of Training Institutes, FTI, Haldwani, Corbett (W/L) Training Center, Kalagarh, FG Trg. Institute, Rampur Mandi, , Jaiti (Almora).
12.2	Other Trainings (Forest Guard, Forester, Rangers, Wildlife Motivators, Awareness Campaign, Monkey/Snake/Small Mammal catching Trainings, Wireless OperationTrainings, First Responder Training, Disaster Management Training, Training on Raising of Horticulture Plants etc.) No. of Participants	4000 Nos.	200.00	
	Sub-Total		**400.00**	
13	**Monitoring and Evaluation**	LS	300.00	By Third Party
	Monitoring and Evaluation		**300.00**	

14	**Rest of NPVs /Allied Activities**			
14.1	Forest Protection, Infrastructure Development, Soil and water conservation, forest Management, Wildlife Management and other conservation Activites to be approved by PCCF HOFF to different IAs	1. Demarcation / Protection of Forest Bouneries – 10 Km 2. Soil and Water Conservation Works – 2000 Nos. 3. Specific Projects for Watershed Development – 4 Nos.	1100.00	
14.2	Purchase of Computer, Softwares and other management cost to different admin offices (No. of Admin Units)	20 Nos.	100.00	
14.3	Green India Mission (No. of Van Panchayats)	500 Nos.	700.00	
14.4	Field/ Other Vehicles for strengthening forest protection at field level.	30 Nos.	250.00	
14.5	New and Renewable Energy (Solar Panel with invertors) for far flung/ inaccessible areas	500 Nos.	100.00	
14.6	Support fund to meet exigencies in case of loss of life / enquiry of regular staff / daily wages/ public engaged in forest protection / conservation / fire fighting and other mitigation.	LS	112.00	
14.7	Strengthening field level patrolling	4650 Nos.	200.00	Field kit, specialized patrolling gear, etc.
14.7	Fire Arms for field staff for forest and wildlife protection	50 Nos.	50.00	
14.9	Forest Library	1 No.	50.00	
	Sub-Total		**2662.00**	
15	**MAN ANIMAL CONFLICT MITIGATION MEASURES**			
15.1	Human Wildlife Conflict Resolution, elephant / wildboar proof wall / power fencing and trenches	40 km	1000.00	
15.2	Ex-gratia payment (damage to life and property or human death due to wildlife attack.		300.00	Ex-gratia for human death/injuries and damage to property, agriculture by wild animals which is only a small

				part of the total paid from the state funds
	Sub-Total		**1300.00**	
16	**HABITAT IMPROVEMENT WORKS**			
16.1	Management & Eradication of Invasive Species outside protected areas	714 ha	50.00	To reduce Human-Wildlife Conflict
	Sub-Total		**50.00**	
17	**WILDLIFE MANAGEMENT**			
17.1	Habital Improvement, Wildlife Protection etc. Activities under various Wildlife Rich Areas/Protected Areas	Site Specific Plans as per approval Working/Management Plans	1500.00	
17.2	Allied Activities for Strengthening Wildlife Management and Protection	Special Contingency to respond to Emergency Situations and Site Specific Requirements	1000.00	
	Sub-Total		**2500.00**	
18	**EX-SITU WILDLIFE CONSERVATION**			
18.1	Construction of Zoo, Breeding Center, Reptile Park and Tiger Safari	5 Nos.	500.00	These are to serve as Rescue Centers and Breeding Centers for endangered species as well as provide awareness to public on conservation. Being done as per guidelines of NTCA, CZA, PE etc.
	Sub-Total		**500.00**	
19	**MONKEY MENACE MITIGATION /ANIMAL RESCUE CENTER**			
19.1	Construction, Management and Operational Costs of Rescue Centers	3 Nos.	500.00	For mitigation of Human-Wildlife Conflict especially with Monkeys and Leopards
	Sub-Total		**500.00**	
20	**Forest Infrastructure Development**			
20.1	Watershed Development at Select locations	2 Nos.	200.00	

20.2	Renovation of Forest Rest House.	25	600.00	
	Sub-Total		**800.00**	
	TOTAL NET PRESENT VALUE (NPV)		**21175.00**	
21	Release / Balance Activities of 2015-16 (approved in 10th SC) Meeting	To clear Carry Over of 2015-16 from approved APO	3869.00	
	TOTAL Table – B		**24894.00**	

Table C – APO for River Training and Muck Disposal Works

S. No.	HEAD / Activities	Target		Remark
		Physical	Remark	
2	**RIVER TRAINING/ DEMARCATION & FUELWOOD AND MUCK DISPOSAL**			
22.1	River Training Works (No. of Divisions)	6	2140.00	
22.2	Muck Disposal (No. of Projects)	241	1286.00	
	TOTAL Table – C		**3426.00**	
Total APO Size (Table A + Table B + Table C)			**34680.00**	

*उपरोक्त में 2% तक का आकास्मिक व्यय (Contingency) भी सम्मिलित है।

संचालन समिति को अवगत कराया गया कि वर्ष 2016–17 में विभिन्न अपरिहार्य कार्यों जिसमें मुख्य रूप से वृक्षारोपण कार्य तथा वनाग्नि सुरक्षा सम्मिलित हैं, हेतु ₹ 33.99 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई है। संचालन समिति द्वारा विचारोपरान्त उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2016–17 हेतु वार्षिक कार्ययोजना के अनुमोदन की प्रत्याशा में वर्ष 2016–17 में विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों को अवमुक्त धनराशि ₹ 33.99 करोड़ की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण :– उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अपने पत्रांक दिनांकित 14 सितम्बर 2015 के द्वारा 14369.54 के बैकलॉक को पूर्ण करने हेतु एक्शन प्लान प्रेषित किया गया था।

वर्ष	क्षतिपूरक वृक्षारोपण (हे0 में)
2015–16	2253.47
2016–17	3029.00
2017–18	3029.00
2018–19	3029.00
2019–20	3029.07
कुल योग	**14369.54**

वर्ष 2015–16 में 1245.24 हे0 क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। वर्ष 2016–17 में क्षतिपूरक वनीकरण के बैकलॉग पूर्ण करने हेतु प्रेषित 5 वर्षीय कार्ययोजना में प्रस्तावित 3029 हे0 भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष 3000 हे0 क्षेत्र में क्षतिपूरक वनीकरण कार्य प्रस्तावित है जिस हेतु वर्ष 2016–17 की वार्षिक कार्ययोजना में ₹ 780.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है। क्षतिपूरक वनीकरण मद के अंतर्गत अग्रिम मृदा कार्य, अनुरक्षण आदि कार्य को सम्मिलित करते हुए कुल ₹ 2845 लाख की धनराशि का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना 2016–17 हेतु प्रस्तावित किया गया है।

चर्चा के दौरान भारत सरकार के प्रतिनिधि ने पुनः इस बात पर बल दिया कि योजना के अंतर्गत प्रत्येक दशा में एन0पी0वी0 मद के अंतर्गत न्यूनतम 70% का उपयोग 'कोर क्रियाकलापों' हेतु किया जाए तथा शेष धनराशि हेतु भी निर्धारित मानकों का पालन प्रत्येक दशा में किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से भारी मात्रा में दीवार बंदी तथा वन मोटर मार्गों के विषय में अपना मत व्यक्त किया कि इन कार्यों का गहन परीक्षण कर लिया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि दीवारों के निर्माण के कारण वन्यजीव वास स्थलों का विखण्डन न होने पाए तथा प्राथमिकता के आधार पर उन्हीं वन मोटर मार्गों का अनुरक्षण/सुदृढ़िकरण किया जाए जो वानिकी एवं वन सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील हों। इस विषय पर चर्चा के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा, द्वारा, भारत सरकार द्वारा कैम्पा की धनराशि के उपयोग की प्रस्तावित रणनीति के प्रस्तुतिकरण दिनांक 25/07/2016 में स्लाइड संख्या

23 का उल्लेख करते हुए अवगत कराया कि न्यूनतम 70% कोर वन एवं वन्यजीव गतिविधियों के अंतर्गत वन सीमा का निर्धारण जिसमें फेन्सिंग अथवा दीवारबंदी सम्मिलित है, का भी प्राविधान है। उन्होंने अवगत कराया कि उत्तराखण्ड राज्य में मानव वन्यजीव संघर्ष एक ज्वलंत समस्या है जिसके निराकरण हेतु अत्यंत संवेदनशील स्थानों पर हाथी, सुअर अथवा अन्य वन्यजीव रोधी दीवार / फेन्सिंग का निर्माण कराया जाता है। इससे एक ओर वन्यजीवों एवं उनके वास स्थल की सुरक्षा होती है, साथ ही स्थानीय समुदायों का वन्यजीव संरक्षण में सहयोग भी प्राप्त होता है।

भारत सरकार के प्रतिनिधि ने यह अपेक्षा की कि समस्त प्रस्तावित कार्यों के भौतिक लक्ष्य भी अवश्य प्रस्तावित किए जाएं। इस विषय पर समस्त सदस्यों ने चर्चा के दौरान इस बात पर बल दिया कि उत्तराखण्ड एक अत्यंत संवेदनशील हिमालयी राज्य है जहां किसी भी समय आपदा की प्रबल संभावना रहती है। अनेक स्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर वृक्षारोपण एवं भूमि एवं जल संरक्षण के कार्यों द्वारा आपदा प्रभावित अथवा संभावित क्षति को रोकने हेतु उपचार कार्यों की आवश्यकता आकस्मिक रूप से उत्पन्न होती है। मानव वन्यजीव संघर्ष विशेषकर, हाथी, बाघ एवं गुलदार जनित समस्या भी आकस्मिक रूप से प्रदेश के विभिन्न भागों में समय समय पर उत्पन्न होती है जिसमें त्वरित कार्यवाही अपेक्षित होती है। इसी को देखते हुए कतिपय मदों में कुछ धनराशि प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव के पास उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है जो उसे आकस्मिक परिस्थितियों में निर्धारित मानक मदों के अनुसार व्यय करने हेतु निर्देश जारी करेंगे।

संचालन समिति द्वारा वर्ष 2016–17 की वार्षिक कार्ययोजना ₹ 34680.00 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यसूची संचालन समिति 11.5: एडहॉक कैम्पा द्वारा वर्ष 2016–17 की वार्षिक कार्ययोजना के साथ चाही गई checklist के विभिन्न बिन्दुओं पर प्रेषित की जाने वाली सूचनाओं के संबंध में :–

एडहॉक कैम्पा भारत सरकार द्वारा अपने पत्रांक 15–2(0)/2016 दिनांक 04.01.2016 के द्वारा वार्षिक कार्ययोजना के साथ निम्न 12 बिन्दुओं पर चाही गई सूचना निम्नानुसार है।

Compliance of Letter number 15–2(0)/2016. CAMPAदिनांक 04.01.2016of Adhoc CAMPA, GoI regarding Checklist to be furnished with Annual Plan of Operation

(1)	Whether the provision for Compensatory Afforestationis in line with the 5 year action plan. Pl	The five year action plan of CA has been sent to Adhoc CAMPA GoI vide CAMPA's letter no,. 349/16-25 dated 04.09.2015. During the FY 2015-16 against the CA target of

<table>
<tr><td></td><td>enclose a copy of the 5 year action plan duly approved by the State level Steering Committee. In case of any reduction, please state the reasons.</td><td>1432.90 ha achievement was 1245.24 ha. As per five year Action Plan Provision of 3000 ha of CA has been made in the APO 2016-17. The year wise plantation physical targets and achievement are as under sice the inception of Uttarakhand CAMPA.
<table>
<tr><th rowspan="2">YEAR</th><th colspan="2">Physical Target (in ha)</th></tr>
<tr><th>Target</th><th>Achievement</th></tr>
<tr><td>2011-2012</td><td>3972.52</td><td>3843.43</td></tr>
<tr><td>2012-2013</td><td>715.38</td><td>438.77</td></tr>
<tr><td>2013-2014</td><td>3080.84</td><td>2696.25</td></tr>
<tr><td>2014-2015</td><td>2078.00</td><td>2077.91</td></tr>
<tr><td>2015-2016</td><td>1432.90</td><td>1245.24</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>11279.64</td><td>10301.6</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>(2)</td><td>Whether the benchmark of 70% expenditure of past release has been achieved. Please also mention the total balance of released CA funds at the end of the financial year, and its size vis-à-vis the outlay in the APO for the current year.</td><td>Uttarakhand CAMPA has received ₹ 58667.90 lakh CAMPA fund till March, 2016 from Adhoc CAMPA against which ₹ 48171.26 lakh has been spent which is 82.10%.Total ₹ 8741.10 lakh has been released for CA till March, 2016 and a provision of total ₹ 2845 lakh has been made for CA in APO 2016-17.</td></tr>
<tr><td>(3)</td><td>The dates on which the Quarterly Progress Reports have been sent to the Ad-hoc CAMPA. In case the time line of one month from the end of the Quarter has not been adhered to, the reasons therefor.</td><td>The Ist&IInd Quarterly Report of FY 2015-16 has been sent to Adhoc CAMPA on 30.05.2016. The Adhoc CAMPA has asked to send the Quarterly Report in New prescribed format which will be sent with in August, 2016.</td></tr>
<tr><td>(4)</td><td>Whether project wise and component wise details of all remittances made to the State accounts maintained by the Ad-hoc CAMPA have been furnished, and reconciled with the Ad-hoc CAMPA. If not, the reasons therefor, together with the details of (a) funds claimed to be remitted by the State but not reflected in the Ad-hoc CAMPA accounts; and (b) funds appearing in the State CAMPA account but not identified by the State.</td><td>This project wise component wise details of all remittance made to the State accounts maintained by Adhoc CAMPA have been furnished by APCCF & Nodal Office, Forest Conservation, Uttarakhand.
Reconciliation has been made up to 31 March, 2013 with Adhoc CAMPA.</td></tr>
<tr><td>(5)</td><td>Whether accounts of the State CAMPA have prepared in the double entry format; whether their internal</td><td>Uttarakhand CAMPA accounts are maintained in Double Entry System. The Internal Audit by CAG empanelled Chartered Accountant has been completed till FY 2013-14.</td></tr>
</table>

	audit has been undertaken through a Chartered Accountant empanelled with the State AG, and whether the Auditor's report has been forwarded to the State AG. The year upto which the process has been undertaken, completed may be stated, with the reasons for the backlog, if any	Audit Cell of Uttarakhand Forest Department is executing the Internal Audit work of 2014-15 &2015-16. The Balance Sheet as on 31.03.2015 of Uttarakhand CAMPA has been audited by CAG empanelled Chartered Accountant and approved by the Steering Committee in Meeting held on 27.10.2015.
(6)	Performance in relation to e.Green Watch, with detailed reasons for the inaccurate and unascertainable polygons. Please also state whether (a) scrutiny at the State hqrs level is undertaken before the polygons are loaded on the e.Green Watch site; and (b) the response time for the queries raised by the Forest Survey of India in respect of the incorrect and unascertainable polygons.	The status of Polygons entry in e-Green Watch Portal as on 18.03.2016 and 06.07.2016 are enclosed as annexure -
(7)	Status of third party monitoring of CAMPA projects.	Third party Monitoring of CAMPA has been completed till the 31st March, 2014. In the year 2015-16 & 2016-17 the Monitoring work has been executed by Monitoring Cell of Uttarakhand Forest. It has been decided that 3rd Party Monitoring works of Uttarakhand CAMPA will be executed through FRI, Dehradun.
(8)	Whether the replies to the C&AG Report have been finally accepted-in case of queries, whether have been answered.	Reply to C&AG Report has been already submitted and accepted and no further query is pending on date.
(9)	Figures of Compensatory Afforestation undertaken in the year ending 31 12 2016, with physical and financial targets/ achievements. Also please give the cumulative figures of total targets/achievements of CA, from 1980 onwards.	During year 2015-16 Uttarakhand CAMPA has achieved 1245.24, ha and ₹ 2404.60 lakh against the target of 1432.90 ha and ₹ 2811.39. Since the formation of Uttarakhand CAMPA till March, 2016 total CA completed is 10489.27 ha.
(10)	Whether the composition of the Steering Committee is in terms of the prescriptions laid down in the State CAMPA Guidelines, and whether the departure are well accounted for. Please also state whether the NGO Members are present in the meeting	The composition of Steering Committee of Uttarakhand CAMPA is as per State CAMPA Guideline. Nomination of two NGO's representatives is under process with Uttarakhand Government.

	of the Steering Committee.	
(11)	Whether the data sought in relation to all diversion cases since the year 1980, have been furnished.	APCCF & Nodal Office, Forest Conservation, Uttarakhand have furnished the details of all diversion cases since the year 1980.
(12)	The total of credits to the State CAMPA account since 15 10 2015, and the number which have been undertaken otherwise through the e. portal. Steps taken to ensure that all credits are made only through the e. portal	APCCF & Nodal Office, Forest Conservation, Uttarakhand have remitted total amount of ₹ 32.14 Crore through e. portal. Now in all the new cases of diversion the amount is remitted through e. portal only.

संचालन समिति के समक्ष एड–हॉक कैम्पा द्वारा वार्षिक कार्ययोजना के साथ चाही गई चेकलिस्ट के विभिन्न 12 बिन्दुओं (कार्यसूची संख्या 11.5) पर चर्चा के दौरान अपर प्रमुख वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, एफ0 आर0 आई0, देहरादून द्वारा मत व्यक्त किया गया कि कैम्पा निधि के अंतर्गत समस्त कार्य वन विभाग द्वारा किए जाते हैं एवं किए गए कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य भी वन विभाग की इकाई (मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं ऑडिट, उत्तराखण्ड) से कराया जा रहा है, जो उचित नहीं है एवं तृतीय पक्ष की श्रेणी में नहीं आता है। अतः अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य किसी तृतीय पक्ष से ही कराया जाना उचित होगा।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि कैम्पा के अंतर्गत विभिन्न फील्ड संबंधी कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कराए जाने हेतु वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून के साथ एम0ओ0यू0 को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह प्रस्ताव केवल कैम्पा के अंतर्गत कार्यों के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु होगा। संचालन समिति द्वारा निर्देश दिए गए कि भविष्य में अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य अनिवार्य रूप से तृतीय पक्ष से ही कराया जाए।

संचालन समिति द्वारा विचारोपरान्त उपरोक्त 12 बिन्दुओं की सूचना का अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यसूची संचालन समिति 11.6: उत्तराखण्ड कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज की धनराशि से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय के वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रबन्धन हेतु बजट के सम्बन्ध में :–

अर्जित व्याज के व्यय के विषय में मुख्य सचिव महोदय द्वारा यह निर्देशित किया गया कि प्रमुख वन संरक्षक द्वारा कैम्पा कार्यालय के प्रबंधन हेतु निर्धारित व्यय के अतिरिक्त अन्य मदों हेतु प्रस्तावित धनराशि का अपने स्तर पर पुनः औचित्यपूर्ण परीक्षण कर लें।

कार्यसूची संचालन समिति 11.7: अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से अन्य बिन्दु :–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, एफ0 आर0 आई0, देहरादून द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा की कार्यकारी एवं संचालन समिति के सदस्य के रूप में दो–दो गैर सरकारी संगठनों को नामित किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि नया कैम्पा अधिनियम 2016 पारित हो चुका है एवं एड–हॉक कैम्पा द्वारा नियमावली तैयार की जा रही है। नए कैम्पा अधिनियम 2016 के अंतर्गत राज्य सरकार को पुनः कैम्पा का गठन किया जाएगा अतः उचित होगा कि गैर सरकारी संगठनों को नामित किए जाने की कार्यवाही तत्पश्चात ही की जाए।

   मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि गैर सरकारी संगठनों को नामित किए जाने की कार्यवाही शासन स्तर पर विचाराधीन है। अध्यक्ष महोदय द्वारा इस संबंध में निर्देश दिए गए कि उक्त कार्यवाही को शासन स्तर पर शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाए।

2. अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि कैम्पा का मूल उद्देश्य क्षतिपूरक वनीकरण है अतः इसका उपयोग वनीकरण व संबंधित गतिविधियों के लिए अनिवार्य रूप से होना चाहिए ताकि राज्य के वन एवं वन्यजीवों का सरंक्षण हो सके व स्थानीय जन मानस का वनों के साथ जुड़ाव सुदृढ़ हो सके। कैम्पा परियोजना उत्तराखण्ड जैसे जैवविविधता एवं वन बाहुल्य वाले हिमालयी राज्य हेतु अत्यंत उपयोगी योजना है तथा इसकी उपयोगिता और सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक है कि इसके मार्ग निर्देशों के अनुरूप वन एवं जन उपयोगी योजनाओं को पूर्ण पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए। अध्यक्ष महोदय द्वारा अपेक्षा की गई कि कैम्पा परियोजना के विषय में विभिन्न माननीय जन प्रतिनिधियों एवं जनता के बीच में सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए जिससे सभी इस बात के प्रति अवगत हो सकें कि इस योजना में वास्तव में किस प्रकार के कार्य किन अभिकरणों द्वारा किन नियमों एवं प्रकिया के अनुरूप कराए जा सकते हैं तथा इस हेतु किस सीमा तक वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं।

   मुख्य सचिव महोदय द्वारा पुनः इस बात पर बल दिया गया कि इस योजना के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुरूप ही कार्य प्रस्तावित किए जाएं तथा वित्तीय सीमा का भी विशेष ध्यान रखा जाए। कैम्पा के अंतर्गत धनराशि भी राजकीय धन है अतः इसके विषय में भी राजकीय धन

के व्यय हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन किया जाए तथा सक्षम स्तर से अपेक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जाए। सक्षम स्तर से स्वीकृत लक्ष्यों में अन्य किसी स्तर से किसी भी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए। यदि अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन किया जाना अनिवार्य हो तो उसकी स्वीकृति सक्षम स्तर से लिए जाने के उपरांत ही कार्य संपादित किए जाएं। चूंकि अगले वर्ष से इस योजना का संचालन कैम्पा अधिनियम 2016 व उसके अंतर्गत तैयार नियमों/मार्गनिर्देशों के अनुसार किए जाना है जिसके अंतर्गत वार्षिक कार्ययोजना की स्वीकृति भारत सरकार के स्तर से दी जानी है, अतः इसके प्रति अत्यधिक सजग रहने की आवश्यकता है।

अंत में बैठक सभी को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।

(समीर सिन्हा)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा एवं सदस्य सचिव,
संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा

(शत्रुघ्न सिंह)
मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं
अध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एव नियोजन प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

5 पंचशील पार्क, चकराता रोड़, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135–2761077 ई–मेल: **ceocampa-forest-uk@nic.in,**
Website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक– 328 /13–2(11)/2016–17 दिनांक, देहरादून, 05 सितम्बर, 2016

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, मा॰ मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा॰ मुख्यमंत्री जी एवं अध्यक्ष–शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मा॰ वन मंत्री, उत्तराखण्ड को मा॰ वन मंत्री जी एवं उपाध्यक्ष–शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, मा॰ वित्तमंत्री, उत्तराखण्ड को मा॰ वित्त मंत्री जी एवं सदस्य–शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, मा॰ नियोजन मंत्री, उत्तराखण्ड को मा॰ नियोजन मंत्री जी एवं सदस्य–शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा के अवलोकनार्थ।

(मुख्य कार्यकारी अधिकारी)
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांकः– 328 (1)/13–2(10)/2015–16दिनांकित।

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड के अवलोकनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन एवं उपाध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव–नियोजन, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव–वित्त, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।
5. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।
6. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
7. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
8. अपर प्रमुख वन संरक्षक, केन्द्रीय, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय–देहरादून।
9. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
10. अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
11. अपर सचिव, वन एवंपर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
12. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

(मुख्य कार्यकारी अधिकारी)
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांकः– 328(2)/13–2(11)/2016–17दिनांकित।

प्रतिलिपि :–

1. वन महानिरीक्षक, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी–एड हॉक कैम्पा, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली।
2. प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड ।
5. निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड।
7. वित्त नियंत्रक, वनविभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक/वन वर्धनिक, उत्तराखण्ड।

(मुख्य कार्यकारी अधिकारी)
उत्तराखण्ड कैम्पा

Annexure-1

Comparative Progress of Egreenwatch Portal

Progress Report Compilation Date	As on Aug 2015	As on October 2015	As on December 2015	As on January 2016	As on March 2016	As on July 2016
Total No. of FCA projects uploaded in portal	1651	2162	2304	2407	2529	2554
Total No. of KML for Diverted land uploaded in portal	1048	1667	1822	1899	2011	2054
Total No. of CA projects uploaded in portal	1138	1421	1492	1567	1631	1635
Total No. of KML for CA Land uploaded in portal	802	1192	1224	1224	1346	1365
Total No. of Non CA Plantation	618	766	614	810	813	872
Total No. of Assets Uploaded	2971	3859	3439	3439	3439	4179
Percentage Diverted Land	37.9	49.6	52.8	55.2	58.0	58.6
Percentage CA	48.6	55.1	53.1	50.9	53.2	53.4

Total Registered Projects in portal 4360
Total Registered Projects in portal since 2001 2827

Progress Report Compilation Date	As on Aug 2015	As on October 2015	As on December 2015	As on January 2016	As on March 2016	As on July 2016
Percentage Diverted Land	37.9	49.6	52.8	55.2	58.0	58.6

Progress Report Compilation Date	As on Aug 2015	As on October 2015	As on December 2015	As on January 2016	As on March 2016	As on July 2016
Percentage CA	48.6	55.1	53.1	50.9	53.2	53.4

Annexure-1

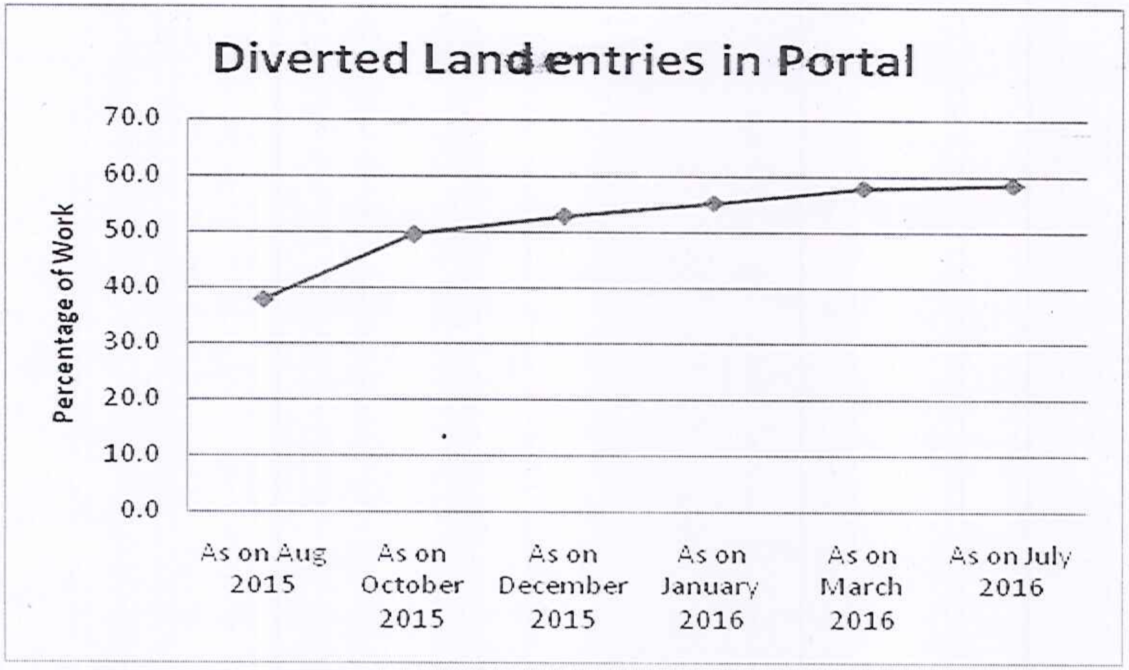
Diverted Land entries in Portal
Percentage of Work
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
As on Aug 2015
As on October 2015
As on December 2015
As on January 2016
As on March 2016
As on July 2016

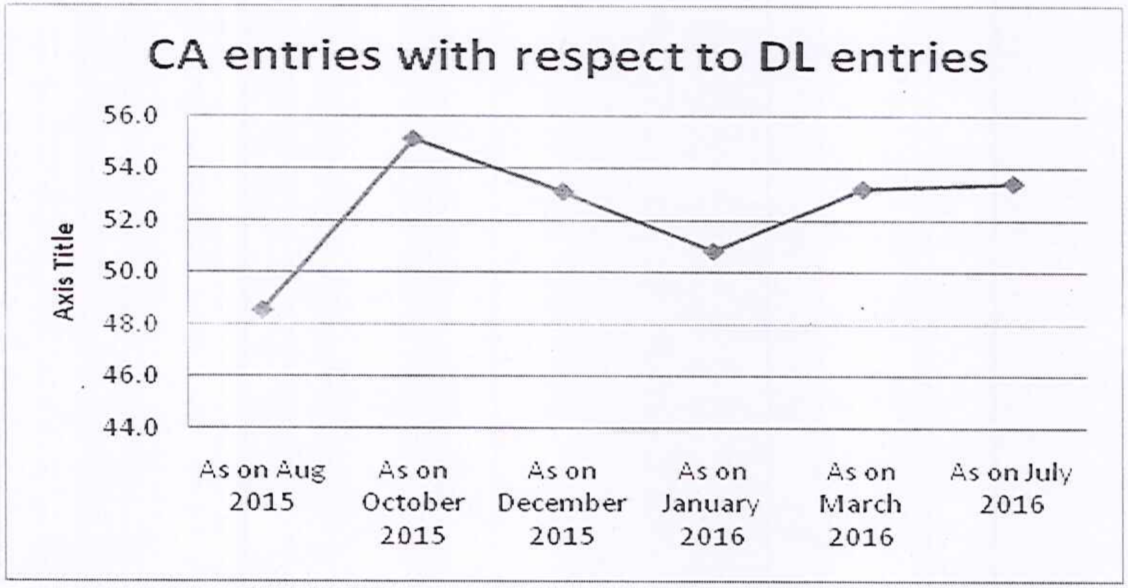
CA entries with respect to DL entries
Axis Title
56.0
54.0
52.0
50.0
48.0
46.0
44.0
As on Aug 2015
As on October 2015
As on December 2015
As on January 2016
As on March 2016
As on July 2016

CORE AND ALLIED ACTIVITIES

UTTARAKHAND CAMPA APO 2016-2017

S.No.	Head / Activity	PROPOSED APO 2016-17 FIN (In Lakh ₹)	Percentage of NPV
COMMITED ACTIVITIES			
Compensatory Afforestation			
Advance Soil Work			
1.1	Advance Soil Work - CA	1665.00	
Maintenance			
1.2	Nursery Maintenance - CA	120.72	
1.3	Plantation Maintenance - CA	279.28	
Nursery Raising			
1.4	Nursery Raising - CA	0.00	
Plantation			
1.5	Plantation - CA	780.00	
Total in Compensatory Afforestation		2845.00	
Other Site specific Activities			
2.1	Plantations (Road side, Gap filling, Dwarf Species)	1365.00	
Total in Other Specified Activity		1365.00	
C.A.T.			
3.1	Plantations	619.00	
3.2	Rest of Activities under CAT Plans	1531.00	
Total in C.A.T.		2150.00	
Total Committed Activities		6360.00	
	NET PRESENT VALUE (CORE ACTIVITIES Minimum 70%)		
Forest Protection, Infrastructure and Human Resource Development			
4.1	Construction of New FG/Forester/Mali Chowki	500.00	
4.2	Boundary Pillars (New)	50.00	
4.3	Fire Arms Purchase	50.00	
4.4	Fire Protection and management (Maintenance of Fire Lines, Watch Towers, Crew Station, Wireless sets, Fire Equipments, Fire Watchers, Hiring of vehicles and other activities)	2200	
4.5	New and Renewable Energy (Solar Panel with invertors) for far flung/ inaccessible areas	100	
4.6	Maintenance of Forest Roads, Bridle path, culverts etc.	1500	
4.7	Survey & Demarcation	28	
4.8	Field/ Other Vehicles for strengthening forest protection at field level.	250.00	
4.9	Monitoring And Evaluation	300.00	
4.10	Management & Eradication of Invasive Species outside protected areas	50	
4.11	Release / Balance Activities of 2015-16 to clear carry over. (approved in 10th SC) Meeting	3869	
Total in Forest Protection, Infrastructure and Human Resource Development		8897.00	

S.No.	Head / Activity	PROPOSED APO 2016-17	Percentage of NPV
		FIN (In Lakh ₹)	
Plantation under NPV			
5.1	City Plantation at Dehradun	25	
5.2	City Plantation at Mussoorie	25	
5.3	Raising of Oak, Deodar and other high altitude species including maintenance	400	
5.4	Field Level Celebrations of Van Mahotsav / Harela including plantation cost.	50	
5.5	Raising of Fruit Plants and Mehal top working	50	
5.6	Raising of middle altitude species and fruit plants	200	
5.7	Grassland Development	500	
Total in Plantation under NPV		1250.00	
Soil And Water Conservation			
6.1	Creation of Water Bodies	2000	
6.2	Rejuvenation of traditional and Other Water Sources	500	
6.3	Soil and Water Conservation Measures like checkdams, brushwood checkdams, pirul and vegetative checkdams	1000	
6.4	Maintenance of Existing Water bodies	150	
6.5	Staggard Contour trenches for water retention in chir pine areas	1000	
6.6	Forest Protection, Infrastructure Development, Soil and water conservation, forest Management, Wildlife Management and other conservation Activites to be approved by PCCF HOFF to different IAs	1100	
Total in Soil And Water Conservation		5750.00	
Strengthening of Wildlife Management			
7.1	Habital Improvement, Wildlife Protection etc. Activities under various Wildlife Rich Areas/Protected Areas	1500	
7.2	Allied Activities for Strengthening Wildlife Management and Protection	1000	
7.3	Ex-gratia payment (damage to life and property or human death due to wildlife attack.	300	
7.4	Construction of Zoo, Breeding Center, Reptile Park and Tiger Safari	500	
7.5	Construction, Management and Operational Costs of Rescue Centers	500	
7.6	Man Animal Conflict Resolution, elephant / wildboar wall / power fencing and trenches	1000	
7.7	Watershed Development at Select locations	200	
Total in Strengthening of Wildlife Management		5000.00	
NET PRESENT VALUE (D)			
8.1	Plantations (Pasture Development)	835	
8.2	Strengthening of Van Panchayats	200	
Total in Workshop & Training and Awareness Programs in VP's		1035.00	
Total NPV CORE ACTIVITIES		21932.00	88.10%
APPLIED AND NEED BASED RESEARCH (up to 5%)			
Forestry Research			
9.1	Research Related Activities	200	
9.2	Preparation of Working Plans	200	
Total in Forestry Research		400.00	
Total in Research		400.00	1.61%

S.No.	Head / Activity	PROPOSED APO 2016-17 FIN (In Lakh ₹)	Percentage of NPV
COMMUNICATION / ICT, CAPACITY BUILDING AND TRAINING PROGRAMMES (up to 10 %)			
Training and Capacity Building			
10.1	Strengthening of Training Instutions to prepare Frontline Staff and other stakeholders to strengthen forestry and wildlife conservation.	200	
10.2	Other Trainings (Forest Guard, Forester, Rangers, Wildlife Motivators, Awareness Campaign, Monkey/Snake/Small Mammal catching Trainings, Wireless OperationTrainings, First Responder Training, Disaster Management Training, Training on Raising of Horticulture Plants etc.)	200	
Total in Trainings and Capacity Building		400.00	
Total CAPACITY BUILDING		400.00	1.61%
OTHER NPV COMPONENTS (up to 15%)			
11.1	Renovation of Existing Building	200	
11.2	Renovation of Forest Rest House.	600	
11.3	Purchase of Computer, Softwares and other management cost to different admin offices	100	
11.4	Forest Library	50	
11.5	Green India Mission	700	
11.6	Support fund to meet exigencies in case of loss of life / enquiry of regular staff / daily wages/ public engaged in forest protection / conservation / fire fighting and other mitigation.	112	
11.7	Silvicultural Operations in Forest Area	200	
11.8	Strengthening field level patrolling (Field kit, specialized patrolling gear, etc.)	200	
Total Other NPV Activities		2162.00	8.68%
	Total NPV Activities	24894.00	
12	RIVER TRAINING/ DEMARCATION & FUELWOOD AND MUCK DISPOSAL		
12.1	River Training Works	2140	
12.2	Muck Disposal	1286	
	TOTAL	3426	
Total APO Size		34680.00	